



प्रेस नोट

थाना जरिया

दिनांक 14.06.2024

थाना जरिया पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 14.06.2024 को थाना जरिया पुलिस द्वारा अभियुक्त विष्णु उर्फ विशुन पुत्र भागीरथ उम्र करीब 34 वर्ष निवासी ग्राम छिबौली थाना जरिया जनपद हमीरपुर को नाजायज अवैध तमंचा व कारतूस के साथ छत्रपाल सिंह इण्टर कालेज छिबौली से गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना जरिया में मु0अ0सं0 157/2024 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद होना

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

विष्णु उर्फ विशुन पुत्र भागीरथ उम्र करीब 34 वर्ष निवासी ग्राम छिबौली थाना जरिया जनपद हमीरपुर

01. एनसीआर 181/19 धारा 323/504 भा0द0सं0 थाना जरिया हमीरपुर
 02. मु0अ0सं 80/18 धारा 354क/452/323/504/506 भा0द0सं0 व3(1)(w)(i) SC/ST ACT जरिया हमीरपुर
 03. मु0अ0सं 56/2020 धारा 323/504/506 भा0द0सं0 थाना जरिया हमीरपुर
 04. मु0अ0सं 06/2020 धारा 380/411 भा0द0सं0 थाना जलालपुर हमीरपुर
 05. मु0अ0सं 07/2020 धारा 147/148/149/307 भा0द0सं0 थाना जलालपुर हमीरपुर
 06. मु0अ0सं 09/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जलालपुर हमीरपुर
 07. मु0अ0सं 95/2020 धारा 2/3 गैग्रेस्टर एक्ट थाना जलालपुर हमीरपुर
 08. मु0अ0सं 11/20 धारा 3 यू0पी0 गुण्डा एक्ट थाना जरिया हमीरपुर
 09. एनसीआर 19/2021 धारा 323/504 भा0द0सं0 थाना जरिया हमीरपुर
 10. मु0अ0सं 96/2021 धारा 457/380/411 भा0द0सं0 थाना राठ हमीरपुरे
 11. मु0अ0सं 108/2021 धारा 457/380/411/413 थाना राठ हमीरपुर
 12. मु0अ0सं 229/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना राठ
 13. मु0अ0सं 506/2021 धारा 3(1) गैग्रेस्टर एक्ट थाना राठ
 14. मु0अ0सं 11/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जरिया
 15. मु0अ0सं 251/22 धारा 382/411 भा0द0सं0 थाना जरिया
 16. मु0अ0सं 254/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जरिया
 17. मु0अ0सं 256/22 धारा 413 भा0द0सं0 थाना जरिया हमीरपुर
 18. मु0अ0सं 421/2022 धारा 2/3 गैग्रेस्टर एक्ट थाना जरिया
 19. मु0अ0सं0 157/2024 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना जरिया
- गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 कृष्ण दत्त शुक्ला
2. हे0का0 शिवेन्द्र सिंह
3. का0 ब्रजेश कुमार

